न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

जमानत आवेदन संख्या–282 / 2026

(राघोपुर थाना कांड सं0–178 / 2024)

	विजय सादा, पे0 भंटू सादा उर्फ मंटू सादा, साकिन धरहारा वार्ड नं0–04, थाना–राघोपुर, जिला सुपौल.....अभियुक्त / आवेदक बनाम् बिहार सरकार.....विपक्षी	
06 / 05 / 26	प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त आवेदक **विजय सादा** की ओर से दाखिल किया गया है जो राघोपुर थाना कांड संख्या– 178 / 2024 धारा–341, 147, 148, 149, 323, 324, 325, 307, 504, 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत दिनांक 26 / 03 / 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पाण्डेय को सुना। अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया। अभियुक्त आवेदक का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। धारा 307 भा0द0वि0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है तथा उक्त धारा का आरोप अभियुक्त आवेदक के विरूद्व विशिष्ट रूप से अंकित नहीं है। सह अभियुक्त भंटू सादा का जमानत हो चुका है। अभियुक्त आवेदक दिनांक 26 / 03 / 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त आवेदक न्यायालय के हर शर्त मानने को तैयार है तथा जमानत बंधपत्र दाखिल करने के लिये भी तैयार है। अभियुक्त आवेदक को उचित जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। प्रस्तुत वाद सूचिका श्याम देवी के फर्द बयान के आधार पर अंकित धारा– 341, 147, 148, 149, 323, 324, 325, 307, 504, 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत राघोपुर थाना कांड सं0–178 / 2024 दिनांक 23 / 05 / 2024 दर्ज किया गया है। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है, "कि घटना तिथि दिनांक 20.05.2024 दिन सोमवार को समय करीब 02:00 बजे दोहपर में सूचिका मजदूरी करके घर खाना खाने एवं पति के लिए खाना लेने आयी थी। इसी क्रम में उसकी पुत्री अंजनी कुमारी रोते हुये उसके पास आयी और कहने लगी कि पापा को दो चार व्यक्ति ने जोर जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया, जब वह दौड़कर ईंट भट्ठा के पास गयी तो उसक पति वहॉ मौजूद नहीं था, जिसे वह काफी परेशान होकर इधर उधर खोजबीन करने लगी, लेकिन उसके पति का कोई पता नहीं चला, उसके बगल के पड़ोसी विरेन सादा ने कहा कि तुम्हारे पति को मैं उठाकर ले गया हूँ, जब वह ऐसा करने के बारे पूछी तो विरेन सादा ने कहा कि तुम मेरा मोबाईल चोरी की है तथा मेरा मोबाईल दे दो और अपना पति को ले जाओं। जब वह कही कि मैने अपका मोबाईल चोरी नहीं की हूँ, तो इसपर वह गाली गलौज करने लगा तथा गाली गलौज का विरोध की तो विरेन सादा के भाई एवं संबंधी लाठी, डंडा, लोहे का रड, फरसा, तलवार से लेश होकर उसके साथ गाली गलौज करने लगा, विरेन सादा ने कहा कि जब तक मोबाईल नहीं दोगी तब तक तुम्हारे पति के साथ मारपीट करते रहेगें। विरेन सादा ने अपने हाथ में लिये लोहे के रड से उसके पति को बेरहमी से मारने पीटने लगा, जब वह बचाने गयी तो विजय सादा एवं विघा सादा ने अपने हाथ में लिये लाठी से उसे मारने पीटने लगा, उसे बचाने	Contd

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

जमानत आवेदन संख्या–282 / 2026

(राघोपुर थाना कांड सं0–178 / 2024)

लगातार...
06 / 05 / 26

बिनर सादा आया तो उसे विरेन सादा ने अपने हाथ में लिये तलवार से सर पर प्रहार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसे देखकर उसके पति अपने भाई को बचाने गया तो भंटू सादा, विरेन सादा अपने हाथ में लिये लोहे के रड एवं तलवार से सर प्रहार कर सर को फाड़ दिया एवं बायॉ हाथ का हड्डी तोड दिया, उसके देवर अनिल सादा एवं सुभाष कुमार बचाने आया तो सभी लोग परिवार के सदस्यों के सदस्यों को घेरकर लाठी, डंडा, लोहे के रड से मारपीट करना शुरू कर दिया। इनलोगों के हल्ला पर आस पड़ोस के लोग आये और इन लोगों का जान बचाया तथा जख्मियों को रेफरल अस्पताल राघोपुर पहुॅचाया।"

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त आवेदक के विरूद्व सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का आरोप है। वाद दैनिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जख्मी रनिता देवी, जख्मी विनर सादा का जख्म साधारण प्रकृति का है एवं जख्मी सुभाष कुमार एवं नितीश कुमार के जख्म प्रतिवेदन में कोई बाहरी जख्म उल्लेखित नहीं है तथा जख्मी फेकन सादा का जख्म सं0–1. साधारण प्रकृति एवं जख्म सं0–2. गंभीर प्रकृति का है। वाद दैनिकी के कंडिका 18 में आपराधिक इतिहास का वर्णन है, जो अभियुक्तों के विरूद्व पूर्व से कोई भी आपराधिक इतिहास उल्लेखित नहीं है। चूॅकि प्रस्तुत वाद के सह अभियुक्त भंटू सादा का जमानत हो चुका है तथा अभियुक्त आवेदक दिनांक 26 / 03 / 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त आवेदक के द्वारा कारा में बिताई गयी अवधि को मद्देनजर रखते हुये उन्हें जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन को न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है। अभियुक्त आवेदक **विजय सादा** की ओर से मो0 20,000 / – रूपये एवं सामान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंध–पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार परिवार के सदस्य एवं नजदीकी रिस्तेदार होगें।

लेखापित
–हस्ता0–
(अनंत सिंह)
प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल